देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...
जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल
JAWAB DO SARKAR ™
www.jawabdosarkar.com
रेफरेंस संख्या –2020/cfps/01 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | गुरुवार, 3 दिसम्बर 2020

क्या जयपुर संभाग के नए संभागीय आयुक्त श्री समित शर्मा जयपुर की जनता को कोरोना महामारी में निजी अस्पतालों द्वारा की जा रही लूट से निजात दिलवा पाएंगे?

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा-302012 मोबाइल:-9828346151

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

Govt asks pvt hosps to submit treatment bills

TIMES NEWS NETWORK

Jodhpur: Private hospitals here have been asked to submit details pertaining to treatment of the patients and charges levied by them. The details have to be submitted to the divisional commissioner in a stipulated format by Wednesday.

These directions have been given during two days visit of four private hospitals by the divisional commissioner Samit Sharma and a team of State Human Rights Commission with an objective of overseeing the arrangements for treatment of Covid-19 patients and see whether the patients are being charged in adherence of government guidelines.

Sharma said that the private hospitals have been asked to adhere to Covid guidelines and not to overcharge the patients in their hospitals for treatment.

"We have also asked them to provide us details of all the bills pertaining to Covid patients discharged so far," he said adding that strict action would be taken against the hospital(s), if found charging exorbitantly.

Besides, they have also been asked to submit in a format, details about the staff engaged in care for Covid patients, their qualification, details of bills where the charges exceeded Rs 1 lakh and overcharged bills by Wednesday.

Giving the private hospitals direction to reserve 30% beds of total strength for covid patients, they have been asked to submit details about ICU beds and cctv cameras, oxygen cylinders, ventilators, RTPCR test facilities and treatment protocols being practiced by them.

Meanwhile, the team visited Medipulse Hospital, Manidhari Hospital and Goyal Hospital on Monday and Vasundhara Hospital on Tuesday and reviewed the arrangements for Covid treatment. The team comprising Registrar of the commission Omi Purohit also inquired about the fee and other charges levied by the hospitals on Covid patients and treatment given to them during the admission of the patients.

On the other hand, administration has appointed one administrative and one medical officer each for all the five private hospitals for the monitoring of their operations. These officials will also be available over phone to the patients in these private hospitals in case of any inconvenience or difficulty.

Times of India में दिनांक 25/11/2020 को प्रकाशित खबर से साभार

जोधपुर संभाग के संभागीय आयुक्त रहते श्री समित शर्मा ने संभाग के सभी निजी अस्पतालों को 1 लाख से अधिक व्यय करने वाले मरीजों का ब्यौरा अपलब्ध करवाने के दिए थे आदेश|

आपको याद होगा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री समित शर्मा को आम जन को राहत दिलाने वाले फैसलों और नवाचारों के लिए याद किया जाता है,वह चाहे जेनेरिक दवाओं की अनिवार्यता हो या फिर राज्य में शुरू की गयी निशुल्क दावा योजना का खाका|

जोधपुर संभागीय आयुक्त रहते उन्होंने एक और कठोर कदम उठाते हुए,संभाग के सभी निजी अस्पतालों को मरीजों से सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक नहीं वसूलने के सख्त निर्देश देते हुए निजी अस्पतालों में कुल बेड़ों का 30% कोविड मरीजों के लिए रखने,ICUबेड्स,CCTV कैमरों,ओक्सीजन सिलेंडरों,वेंटिलेटर,RTPCR, टेस्ट फेसेलिटिज और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स की सख्त पालना के निर्देश जारी किये थे|इस प्रक्रिया में उन्होंने स्वयं शहर के चार बड़े अस्पतालों का निरिक्षण भी किया था|

जयपुर समेत राज्य के सभी शहरों के निजी अस्पतालों में चल रही है भारी लूट

राज्य के लगभग सभी निजी अस्पतालों में राज्य सरकार की ओर से तय राशि के बावजूद बहुत अधिक धनराशि वसूली जा रही है और सरकार निर्देशों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है|कई निजी अस्पतालों में कोरोना से पीड़ित सामान्य और गंभीर मरीजों से 3 लाख से लेकर 20 लाख तक रकम वसूलना सामान्य बात है|

हमारा अभियान "कोविड फॉर प्रॉफिट स्केम"

निजी अस्पतालों की खुलेआम लूट के विरुद्ध हमारे द्वारा "कोविड फॉर प्रॉफिट स्केम" चलाया जा रहा है,आम जन से अनुरोध है कि यदि उनके या उनके किसी परिजन,मित्र,परिचित के साथ राज्य सरकार की ओर से तय राशि के बावजूद बहुत अधिक धनराशि वसूली जा रही हो तो तमाम दस्तावेजों के साथ संभागीय आयुक्त,जिला कलेक्टर को शिकायत करें,एवं उसकी एक प्रति हमारी संस्था को भी उपलब्ध करवाएं|

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा / ग्रुप–2 / 2020 जयपुर, दिनांक : 20.11.2020

आदेश

कोरोना संक्रमण (कोविड–19) से उत्पन्न स्थिति के परिपेक्ष्य में राज्य के विभिन्न जिलो में स्थित निजी चिकित्सालय कोरोना संक्रमण से बचाव, रोकथाम, आमजन को आवश्यक चिकित्सा सुविधाऐं उपलब्ध कराने की अति महत्वपूर्ण कडी है तथा वर्तमान परिपेक्ष्य में इनकी निर्णायक व महती भूमिका है। राज्य में स्थित संचालित कई निजी चिकित्सालय इस विषम परिस्थिति में व्यापक लोक हित में आमजन के प्रति अपने नैतिक व व्यावसायिक दायित्वों का बखूवी निर्वहन कर रहे है।

राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया आदेश,जिसमे निजी अस्पतालों को तय सीमा से अधिक नहीं वसूलने के लिए पाबंद किया गया है|

इसी क्रम में निजी चिकित्सालयों से बेहतर संवाद एवं समन्वय स्थापित करने, आमजन को सहज व सुलभ उपचार उपलब्ध कराने, कोविड उपचार हेतु उपलब्ध बैड्स की संख्या बढाने, निजी अस्पतालों के समक्ष आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु परिशिष्ठ 1 के अनुसार नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाते है। शेष जिलों हेतु नोडल अधिकारी की नियुक्ति संबंधित जिला कलक्टर द्वारा आज ही की जाकर इस विभाग को अवगत करावें। उक्त नोडल अधिकारियों के सहयोग हेतु जिला कलक्टर द्वारा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या उनसे उच्च अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जावे।

उक्त नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी संबंधित निजी चिकित्सालय में नियमित रूप से भ्रमण कर परिशिष्ठ–2 में अपना प्रतिवेदन मेल आई. डी. rajasthan_idsp@yahoo.co.in पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त नोडल अधिकारी निजी चिकित्सालय की कुल शैय्या क्षमता (सामान्य, ऑक्सीजन सर्पोटेड, आई. सी. यू. व वेन्टीलेटर युक्त) में से श्रेणीवार 30 प्रतिशत बैड्स कोविड–19 मरीजों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। निजी अस्पताल में आने वाले कोविड संक्रमित मरीजों, राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री हैल्प लाइन 181 / जिला प्रशासन द्वारा रैफर किये गये मरीजों को हैल्प डेस्क के माध्यम से बैड्स उपलब्ध होने पर बैड उपलब्ध कराने में सहयोग करेंगे एवं आवश्यकता होने पर कोविड हेतु आरक्षित बैड्स की संख्या बढाने हेतु निजी चिकित्सालय को प्रेरित करेंगे।

निजी चिकित्सालय में ऑक्सीजन की मांग व आपूर्ति की समीक्षा करते हुए किसी प्रकार की समस्या होने पर संबंधित विभाग से सम्पर्क कर समस्या का निराकरण करेंगे।

निजी अस्पताल द्वारा चिकित्सालय में भर्ती होने वाले कोविड–19 मरीजों का उपचार राज्य सरकार की विभागीय अधिसूचना दिनांक 03.09.2020 के द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

भ्रमण के दौरान उपरोक्त के अतिरिक्त कोई अति आवश्यक महत्वपूर्ण बिन्दु संज्ञान में आने पर तुरन्त प्रभाव से जिला कलक्टर एवं राज्य सरकार को अवगत करायेंगे।

निजी चिकित्सालय द्वारा कोविड के उपचार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक राशि वसूली की शिकायत पर इसके निस्तारण के लिए निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है:–

1. जिला कलक्टर द्वारा नामित अतिरिक्त जिला कलक्टर
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
3. वरिष्ठ चिकित्सक मेडिसन
4. वरिष्ठ चिकित्सक निश्चेतन

उक्त कमेटी प्राप्त प्रकरणों का सात दिवस में निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करेंगी।

(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव

एनेक्चर–1

निजी चिकित्सालयों से समन्वय हेतु नियुक्ति नोडल अधिकारियों की सूची

क्र. सं.	जिले का नाम	निजी चिकित्सालय का नाम	आर. ए. एस. अधिकारी का नाम
1.	जयपुर	महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जयपुर।	श्री लोकबंधु, आई. ए. एस., मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर स्मार्ट सिटी लि. एवं आयुक्त, जयपुर नगर निगम हेरीटेज, जयपुर
2.		फोर्टिस अस्पताल, जयपुर।	श्री सदेश नायक, आई. ए. एस., आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, जयपुर
3.		ई. एच. सी. सी. अस्पताल, जयपुर।	श्री आलोक रंजन, आई. ए. एस., सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4.		सी. के बिडला अस्पताल, जयपुर।	श्री अतहर आमिर उल शफी खान, आई. ए. एस., मुख्य कार्यकारी अधिकारी–कम–एडीपीसी, ईजीएस एवं पदेन मुख्य प्रोजेक्ट अधिकारी (मादा), जयपुर
5.		संतोकबा दुर्लभजी अस्पताल, जयपुर।	श्री भंवर लाल, आई. ए. एस., राज्य परियोजना निदेशक, समसा, जयपुर
6.		नारायणा हृदयालाय अस्पताल, जयपुर।	श्री अवधेश सिंह, अतिरिक्त आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
7.		राजस्थान अस्पताल, जयपुर।	डा. हरसहाय मीणा, अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन, आबकारी विभाग
8.		अपेक्स अस्पताल, जयपुर।	श्री राष्ट्रदीप यादव, उपायुक्त जयपुर नगर निगम, जयपुर
9.		मेट्रोमास अस्पताल, जयपुर।	श्री रामरतन शर्मा, उपायुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
10.		सोनी मणीपाल अस्पताल, जयपुर।	श्रीमती आसु चौधरी, अतिरिक्त निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर
11.		सीकेएस अस्पताल, जयपुर।	श्री हरफूल सिंह यादव, अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्राव. निधि विभाग, जयपुर
12.		शैल्बी अस्पताल, जयपुर।	श्री सुनील भाटी, जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर
13.		जेएनयू मेडिकल कॉलेज, जयपुर	श्री गिरीश पाराशर, अतिरिक्त आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
14.		निम्स मेडिकल कॉलेज, जयपुर	श्री कैलाश यादव, जिला रसद अधिकारी, जयपुर
15.		अभिषेक अस्पताल	श्री प्रवीण अग्रवाल, उपायुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
16.		आदर्श दामा होस्पीटल	
17.		आदिनाथ होस्पीटल	
18.		अग्रवाल हार्ट एण्ड जनरल होस्पीटल	श्री सुरेश चौधरी, उपायुक्त, जयपुर नगर निगम ग्रेटर, जयपुर
19.		अमर मेडिकल एण्ड रिसर्च सेन्टर	
20.		अपोलो स्पेशिलियटी होस्पीटल	
21.		आसोपा होस्पीटल	श्री संतोष कुमार गोयल, उपायुक्त, जयपुर नगर निगम ग्रेटर, जयपुर
22.		बागडी होस्पीटल एण्ड रिसर्च सेन्टर	
23.		भगवान महावीर केंसर होस्पीटल	
24.		भण्डारी होस्पीटल एण्ड रिसर्च सेन्टर	श्री प्रियव्रत सिंह चारण, उपायुक्त, जयपुर नगर निगम हेरीटेज, जयपुर
25.		विनायु होस्पीटल	
26.		दादूदयाल होस्पीटल	
27.		दाना शिवम होस्पीटल	श्री हर्षित वर्मा, उपायुक्त, जयपुर नगर निगम ग्रेटर, जयपुर
28.		दीप होस्पीटल एण्ड रिसर्च सेन्टर	
29.		धन्वन्तरी होस्पीटल एण्ड रिसर्च सेन्टर	
30.		जी पी शेखावाटी होस्पीटल	श्री ओमप्रकाश थानवी, प्राधिकृत अधिकारी, जेडीए, जयपुर
31.		ग्लोबल हार्ट एण्ड जनरल होस्पीटल	
32.		हार्ट एण्ड जनरल होस्पीटल	
33.		जी होस्पीटल एण्ड रिसर्च सेन्टर	श्री रविन्द्र शर्मा, विशेषाधिकारी,एनएचएम, जयपुर
34.		जीवन रेखा होस्पीटल	
35.		महाराजा विनायक जनरल होस्पीटल	श्री मानसिंह मीणा, उपायुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयुपर
36.		मरूधर होस्पीटल	
37.		मोनीलेक होस्पीटल	
38.		राज खुराना मेमोरियल होस्पीटल	श्री सोहन राम चौधरी, उप निदेशक, प्रशिक्षण, आई. सी. डी. एस., जयपुर
39.		रमनजी होस्पीटल एण्ड रिसर्च सेन्टर	
40.		रीजन होस्पीटल	
41.		रूंगटा होस्पीटल	श्री देवेन्द्र जैन, उपायुक्त नगर निगम हेरीटेज, जयपुर
42.		साकेत होस्पीटल	
43.		सर छोटू राम होस्पीटल	श्री अशोक कुमार योगी, उपायुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
44.		सोनी मेडिकेयर लि. होस्पीटल	
45.		टोंकास सुपर गेस्ट्रो एण्ड सुपर स्पेशियिलिटी होस्पीटल	
46.	कोटा	सुधा होस्पीटल, तलवण्डी	श्रीमती प्रतिभा देवठिया, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, कोटा 9950382495
47.		सुधा होस्पीटल, जगपुरा	श्री बिरधी चन्द गंगवाल, जिला आबकारी अधिकारी, कोटा 8104209927
48.		कोटा हार्ट चिकित्सालय, तलवण्डी	श्री मोहन लाल प्रतिहार, विशेषाधिकारी (भूमि) नगर विकास न्यास, कोटा 9514154993
49.		भरत विकास परिषद, शक्ति नगर	श्री अशोक कुमार त्यागी, उपायुक्त नगर निगम, कोटा 9636588693
50.	अलवर	सानिया होस्पीटल	श्री रमेश कुमार गुप्ता, अतिरिक्त जिला कलक्टर 9414069832
51.		मित्तल होस्पीटल	श्री रमेश कुमार गुप्ता, अतिरिक्त जिला कलक्टर 9414069832
52.		हरिराम होस्पीटल, भिवाडी	श्री कमल यादव, भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीआईडीए 9413044400
53.	राजसमन्द	अनन्ता मेडिकल कॉलेज, नाथद्वारा	श्री अभिषेक, एसडीएम नाथद्वारा
54.	बाडमेर	थार होस्पीटल, बाडमेर	श्री रोहित चौहान, एसडीएम बाडमेर
55.		विश्नोई अस्पताल, बालोतरा	डा. नरेश सोनी, एसडीएम, बालोतरा
56.	अजमेर	मित्तल अस्पताल	श्री खुशाल यादव, आई. ए. एस., आयुक्त नगर निगम, अजमेर
57.		क्षेत्रपाल अस्पताल	सुश्री शुभम चौधरी, सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
58.	पाली	भगवान महावीर होस्पीटल, सुमेरपुर	श्री देवेन्द्र कुमार, आई. ए. एस., एसडीएम सुमेरपुर
59.	बीकानेर	कोठारी होस्पीटल	श्री सौरभ स्वामी, आई. ए. एस., निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर
60.		एम एन होस्पीटल	
61.		फोर्टिस डीटीएम होस्पीटल	श्री अजीजुल हसन गौरी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर
62.		जीवन रक्षा होस्पीटल	
63.	उदयपुर	गीतांजली मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, जयपुर	डा. मंजू, आई. ए. एस., मुख्य कार्यकारी अधिकारी कम ए. डी. पी. सी. ई. जी. एस., उदयपुर
64.		पेसिफिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल	श्रीमती अपर्णा गुप्ता, आई. ए. एस., एसडीओ, बड़गांव
65.		पेसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल	डॉ. सौम्या झा, एसडीओ, गिर्वा
66.		एम्स, बेडवास	श्री शैलेष सुराणा, एसीईओ, जिला परिषद, उदयपुर
67.		पारस जे.के. हॉस्पीटल, सौभागपुरा	सुश्री ज्योति ककवानी, डीएसओ, उदयपुर
68.		जी.बी.एच. जनरल हॉस्पीटल	श्रीमती श्वेता फगेरिया, डीआईजी स्टाम्प, उदयपुर
69.		शर्मा मल्टीस्पेशिलिटी हॉस्पीटल	श्री अनिल शर्मा, डिप्टी कमिश्नर, नगर निगम, उदयपुर
70.		डॉ. चौधरी हॉस्पीटल, एम.आर.सी. प्राइवेट लिमिटेड	श्री सुरेश खटीक, डिप्टी डायरेक्टर, टीएडी, उदयपुर
71.		सनराईज हॉस्पीटल	श्री जितेन्द्र पाण्डे, उप निदेशक, प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन, टीएडी, उदयपुर
72.		अरावली हॉस्पीटल	श्री प्रदीप सांगावत, एसीईओ स्मार्ट सिटी, उदयपुर
73.		कल्पना नर्सिंग होम	श्रीमती रागिनी डामोर, डिप्टी डायरेक्टर, एचसीएमरीपा
74.		जे.जे. हॉस्पीटल, सैक्टर 14	सुश्री कविता पाठक, रजिस्ट्रार, एम. पी. यू ए. टी., उदयपुर

निजी अस्पतालों में सरकार द्वारा लगाये गए नोडल अधिकारीयों की सूची